

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 162

(जिसका उत्तर सोमवार, 03 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक) को दिया गया)

पीएम इंटरनशिप योजना को बढ़ाने की पहल

162. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा प्रधान मंत्री इन्टरनशिप योजना को और बढ़ाने के लिए विशेषकर उपलब्ध प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ाने, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने और योजना को उभरते उद्योगों और कौशल मांगों के अनुरूप बनाने के संबंध में की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भौगोलिक, सामाजिक-आर्थिक या डिजिटल विभाजन जैसी बाधाओं की पहचान की है जो कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना में भाग लेने से रोकते हैं और यदि हां, तो इन चुनौतियों का सामना करने, इंटरन के बीच समावेशिता और विविधता सुनिश्चित करने के लिए विचार किए जा रहे लक्षित उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) समय-सीमा, वित्तपोषण संबंधी उपबंधों और अन्य हितधारकों के साथ सहयोगात्मक ढांचे सहित इन उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): प्रधान मंत्री इंटरनशिप योजना (पीएमआईएस) की घोषणा बजट 2024-25 में की गई थी। इसका उद्देश्य पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटरनशिप के अवसर प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत के रूप में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 3 अक्टूबर, 2024 को योजना का एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में युवाओं को 1.25 लाख इंटरनशिप के अवसर प्रदान करना है। इस योजना को एक ऑनलाइन पोर्टल <https://pminternship.mca.gov.in> के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

पीएम इंटरनशिप योजना- पायलट प्रोजेक्ट के लिए भागीदार कंपनियों में पिछले 3 वर्षों में औसत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय के आधार पर चयनित शीर्ष 500 कंपनियां शामिल हैं, जो विमानन और रक्षा, मोटर वाहन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, रासायनिक उद्योग, तेल, गैस और ऊर्जा आदि सहित बड़ी संख्या में विविध क्षेत्रों को कवर करती हैं। इसके अतिरिक्त, उभरते क्षेत्रों में इंटरनशिप को बढ़ावा देने

के लिए, योजना दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि योजना में भाग लेने की इच्छुक कोई भी कंपनी/बैंक/वित्तीय संस्था कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) से संपर्क कर सकता है, जो कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगा।

(ख) और (ग): देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से समावेशिता बढ़ाने के लिए पीएम इंटरनशिप योजना पोर्टल (पोर्टल) 12 विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, पीएमआईएस पायलट प्रोजेक्ट के पहले दौर में सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 745 जिलों में भागीदार कंपनियों द्वारा 1.27 लाख से अधिक इंटरनशिप के अवसर प्रदान किए गए हैं। पीएमआईएस- पायलट प्रोजेक्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, देश के सभी हिस्सों से प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर उम्मीदवारों के एक पूल को पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक इंटरनशिप अवसर के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया का उद्देश्य संबंधित कंपनी को उनकी संबंधित प्रक्रियाओं और मानदंडों के अनुसार आगे के चयन के लिए भेजी गई शॉर्टलिस्ट में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों के साथ-साथ दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व प्रदान करके इंटरनशिप कार्यक्रम में विविधता और सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देना है।

प्रधान मंत्री इंटरनशिप योजना - पायलट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 840 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। पायलट प्रोजेक्ट का पहला दौर 3 अक्टूबर, 2024 से शुरू हुआ। प्रधान मंत्री इंटरनशिप योजना - पायलट प्रोजेक्ट का दूसरा दौर 9 जनवरी, 2025 से शुरू हो गया है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय इस योजना के प्रचार और कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों, केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों तथा उद्योग संघों जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। मंत्रालय देश भर में लक्षित समूहों तक पहुँचने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रमलाप भी चला रहा है।
